1. विभाग का परिचय–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–47 में निरूपित सिद्धान्त के अनुरूप प्रदेश के आबकारी प्रशासन की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। तदनुसार मद्यनिषेध की नीति को प्रमुखता देते हुए विभाग सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाये।

प्रदेश के विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं हेतु राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में आबकारी विभग का प्रमुख स्थान है । वर्तमान में प्रदेश में व्यापार कर के बाद आबकारी की प्राप्तियॉ ही सर्वाधिक है। आबकारी विभग पर होने वाला कुल व्यय इस विभाग द्वारा अर्जित सकल राजस्व का लगभग एक प्रतिशत है। इस प्रकार विभाग द्वारा अर्जित किये गये राजस्व का लगभग 99 प्रतिशत भाग राज्य की विकास योजनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है ।

2. सूचना का अधिकार (आर0 टी0 आई0) –

	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या
जन सूचना अधिकारी	श्री पी0एस0 कानड़े	उप आबकारी आयुक्त	9454465601
अपीलीय अधिकारी	श्री डी0के0 दुबे	संयुक्त आबकारी आयुक्त	9454465586